

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**  
**(बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन)**

**बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वाटर एण्ड सैनिटेशन सर्पोट ऑरगनाइजेशन में निदेशक एवं लेखापाल के पद सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर रखे जाने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन**

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वाटर एण्ड सैनिटेशन सर्पोट ऑरगनाइजेशन में निदेशक एवं लेखापाल के 1-1 पद पर सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर रखा जाना है। एतद् हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता एवं शर्तें निम्नवत् होंगी :-

1. निदेशक, वाटर एण्ड सैनिटेशन सर्पोट ऑरगनाइजेशन (अनारक्षित; एक पद)
2. लेखापाल, वाटर एण्ड सैनिटेशन सर्पोट ऑरगनाइजेशन (अनारक्षित; एक पद)
  - I. निदेशक पद पर केवल सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता ही आवेदन देने के पात्र होंगे तथा लेखापाल पद हेतु सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक आवेदन के पात्र होंगे।
  - II. आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की उम्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को 60 वर्ष से कम एवं 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - III. संविदा की अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर पुनः अवधि विस्तार किया जा सकेगा। सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर कभी भी उन्हें सेवा से हटाया जा सकेगा।
  - IV. संविदा पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 10000 दिनांक 10.07.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप प्रावधान इस संबंध में लागू माने जायेंगे।
  - V. सेवानिवृत्त कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, उस विभाग में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चल रही है तथा उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया गया है। आवेदक जिस विभाग से सेवानिवृत्त हुये हैं, उनसे अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदक के साथ संलग्न करना भी आवश्यक होगा। आवेदक एक शपथ पत्र के माध्यम से यह भी घोषित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक या अन्य मामले से संबंधित कोई मुकदमा नहीं चल रहा है तथा किसी थाने में कोई काण्ड दर्ज नहीं है।
  - VI. आवेदक करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2017 के अपराह्न 5:00 बजे तक होगी। आवेदक अपना आवेदन अंतिम तिथि तक बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एम०यू० कोषांग में जमा कर सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
  - VII. इस विभागीय वेबसाइट [www.phed.bih.nic.in](http://www.phed.bih.nic.in) एवं [www.bswwmpatna.org](http://www.bswwmpatna.org) पर भी देखा जा सकता है।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् होगा:



बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वाटर एण्ड सैनिटेशन सपोर्ट ऑरगनाइजेशन में निदेशक एवं लेखापाल के पद सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर रखे जाने से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप

पद का नाम:—

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मि का नाम
2. जन्म तिथि
3. सेवानिवृत्ति की तिथि
4. विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुये हैं
5. सेवानिवृत्त होने वाले विभाग में लम्बित कार्रवाई/आरोप/दण्ड का पूर्ण विवरण (यदि कोई कार्रवाई/आरोप/दण्ड लम्बित नहीं है तो स्पष्ट उल्लेख करें)
6. आवेदक का स्थायी पता
7. आवेदक के पत्राचार का पता एवं मोबाईल नं०
8. आवेदक का हस्ताक्षर एवं दिनांक

स्व अभिप्रेषणित  
अद्यतन पासपोर्ट  
साईज का फोटो  
चिपकाये

नोट: आवेदन के साथ स्व पता अंकित लिफाफा उचित टिकट चिपकाकर संलग्न किया जाय।

विज्ञापनदाता का नाम एवं पता:

श्री अजय कुमार सिन्हा,  
निदेशक, पी0एम0यू0।  
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,  
PHED भवन, विश्वेश्वरैया भवन परिसर,  
बेली रोड, पटना, पिनकोड 800023